प्रपत्र-ड़

File No. - 57/2021

औपबंधिक अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र

बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा-02 की उपधारा-(छ) के अधीन
बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम 15(च)(iii) के अन्तर्गत)

निदेशक, राज्य अग्निशमन सेवा, बिहार, पटना का कार्यालय।

प्रेषक,

निदेशक,
राज्य अग्निशमन सेवा,
बिहार, पटना ।

सेवा में,

श्रीमति (डॉ0) कुमुंद कामनी,
पति-डॉ0 अशोक कुमार सिन्हा,
सगुना, पटना।

संदर्भ :- क्रमांक 2301 दिनांक 21/06/2022
आवेदनकर्त्ता मे0 **अभियंता, अरूण कुमार सिंह** (विशिष्ट आई.डी.नं0 **08/Er/2015/NPDN**)

विषय :- भवन निर्माण के लिए औपबंधिक अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत ।

महाशय,

राज्य अग्निशमन सेवा, बिहार, पटना के द्वारा गठित अग्नि सुरक्षा एवं निवारण स्कंध (FSPW) की संतुष्टि के उपरान्त व उक्त समिति में शामिल विशेषज्ञों की अनुशंसा के आलोक में भवन निर्माणकर्त्ता मे0 **श्रीमति (डॉ0) कुमुंद कामनी** के द्वारा प्रस्तावित भवन/ब्लॉक का निर्माण हेतु बिहार अग्निशमन सेवा नियममावली, 2021 के नियम 15(च)(iii) के अंतर्गत औपबंधिक अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है ।

प्रस्तावित भवन योजना से संबंधित भवन का नाम **Keshav Hospital Pvt. Ltd., निदेशक-श्रीमति (डॉ0) कुमुंद कामनी, पति-डॉ0 अशोक कुमार सिन्हा, प्लॉट नं0-205, खाता नं0-67, तौजी नं0-5292, थाना नं0-23, थाना-दानापुर, मौजा-सगुना, जिला-पटना** अधिभोग Convenience Shopping & Office उप श्रेणी Convenience Shopping & Office भवन की ऊँचाई **15.0** (मीटर में) फर्श क्षेत्र **4709.55** वर्गमीटर, भवन के तलों की संख्या **4**, तलघर की संख्या **1**, स्लिट/भूतल की संख्या **1**, भवन के ब्लॉक की संख्या **1**, प्रत्येक मंजिल का औसत अधिभोग भार **72**, लिफ्ट की संख्या **2**, फायर लिफ्ट की संख्या **2**, रैम्प की संख्या **1**, आपातकालीन शरण स्थल (रिफ्यूजी एरिया) की संख्या **1**, फायर टावर की संख्या **1** है। राष्ट्रीय भवन संहिता के दिशा-निर्देश, स्थानीय भवन नियमावली एवं स्थानीय परिस्थिति के आधार पर निम्नलिखित सलाह/अनुशंसा के साथ भवन निर्माण योजना की स्वीकृति दी जाती है, जिसका अनुपालन संबंधित वास्तुविद/भवन निर्माणकर्त्ता/भू-स्वामी के द्वारा किया जाएगा।

भवन योजना पर प्रतिहस्ताक्षर के बाद आपके अनुमोदन हेतु अग्रसारित किया जाता है :-

(1) भवन निर्माणकर्त्ता द्वारा भवन के लिए खुली जगह (मीटर) (उत्तर **4.51,5.79 मी0**, दक्षिण **9.24,17.63 मी0**, पूर्व **3.0 मी0**, पश्चिम **3.0 मी0**) एवं पलायन के साधन (आंतरिक सीढ़ियों की संख्या **2**, चौड़ाई **3.03** (मीटर)/बाह्य सीढ़ियों की संख्या **1**, चौड़ाई **1.05** (मीटर) प्रस्तावित किया गया है।

(2) खुला स्थान एवं पहुँच-

(क) भवन के चारो तरफ तत्समय प्रवृत भवन उपविधि एवं अन्य तत्संबंधी अधिनियम/नियम/विनियमन/स्थानीय आवश्यकता के अनुसार खुला स्थान होगा एवं अग्निशमन दस्ते के पहुँच एवं घुमाने के लिए न्यूनतम 3.60 मीटर जगह (भवन श्रेणी एवं निर्माण के अनुसार परिवर्तनीय) छोड़ा जाना चाहिए ।

(ख) भवन का पहुँच पथ मजबूत एवं चौड़ी हो जो 20 मिट्रिक टन अग्निशामक वाहन का भार आसानी से सहन कर सके।

(ग) भवन के प्रवेश द्वार की चौड़ाई 4.5 मीटर एवं ऊँचाई 5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए।

(3) बनावट :-

(क) प्रस्तावित भवन का पूरा निर्माण अनुमोदित योजना के अनुसार बिहार भवन उपविधि, 2014 **समय-समय पर यथा संशोधित** तथा स्थानीय नगर निकाय के भवन संबंधी नियमों को ध्यान में रखकर किया जाएगा ।

(ख) भवन का फर्श क्षेत्र 750 वर्गमीटर से अधिक होने की स्थिति में अलग-अलग दिवारों से उचित रूप से छत तक बॉटा जाएगा, जिसमें कम से कम दो घंटे तक अग्नि प्रतिरोधक क्षमता होगा ।

(ग) भवन की आंतरिक सजावट अग्नि फैलाव निरोधक सामग्री से बना हुआ आई0एस0 गुण स्तर का होगा।

(घ) भवन के केन्द्रीय कोर डक्ट का crown के पास वेन्टीलेशन का प्रावधान होगा । सभी उर्ध्व डक्ट का सीढ़ी पर्याप्त अग्नि निरोधक क्षमता के सामग्री से करने का व्यवस्था करना होगा ।

(4) सीढ़ी :-

(क) भवन का सीढ़ी बंद प्रकार का होगा। पूरे भवन निर्माण कार्य ईट/आर.सी.सी. से न्यूनतम 04 घंटे के अग्नि प्रतिरोधक क्षमता का होगा।

(ख) भवन का सीढ़ी के उपरी भाग में स्थायी भेन्ट होगा जो सीढ़ी के क्रॉस सेक्शन एरिया का 05 प्रतिशत होगा। साथ ही सीढ़ी के क्रॉस सेक्शन क्षेत्र का 15 प्रतिशत क्षेत्र के बराबर प्रत्येक मंजिल के स्तर पर खुलने योग्य Sashes होगा। यह भवन के बाहरी दीवार पर प्रदान किया जाएगा।

(ग) भवन के सभी सीढ़ियों का निर्माण कमरे से अलग होगा एवं किसी भी कमरे में प्रवेश किये बिना हर मंजिल पर एक दूसरे से परगम्य होगा, जिसे संबंधित छत के लेवल तक बढ़ाया जाएगा। सीढ़ी वाली दीवाल की छत आस-पास की छत के क्षेत्र से 1 मीटर ऊपर होगी।

(घ) विभिन्न श्रेणी के भवनों में सीढ़ी की चौड़ाई तथा कोरिडोर एवं यात्रा दूरी संबंधित भवन नियमों के अनुसार होगा ।

(ङ) दो सीढ़ी के मामले में एक सीढ़ी बाहरी दीवाल से होनी चाहिए ।

(च) तलघर तक पहुँच के लिए दोनों सीढ़ी तलघर मंजिल तक नही जाना चाहिए। पहुँच के लिए एक अलग सीढ़ी होगा ।

(5) अग्नि सुरक्षा प्रणाली :- राष्ट्रीय भवन संहिता, 2016 **समय-समय पर यथा संशोधित** के प्रावधानों के आलोक में निम्नलिखित अग्नि सुरक्षा उपायों के प्रावधान के साथ अनुमोदित भवन योजना अग्रसारित किया जाता है:-

(क) होज रील
(ख) वेट राईजर-सह-डाउन कमर सिस्टम (05 अदद)
(ग) यार्ड हाईड्रेन्ट सिस्टम
(घ) हस्तचालित विद्युत अग्नि एलार्म सिस्टम
(ङ) पूरे भवन में ऑटोमेटिक डिटेक्शन एण्ड अलार्म सिस्टम
(च) स्प्रींक्लर सिस्टम (आवश्यकतानुसार)
(छ) भूतल स्टैटिक टैक की क्षमता 100000 लीटर
(ज) ओभर हेड वाटर टैक 20000 लीटर क्षमता
(झ) एक पम्प हाउस 2850 एल.पी.एम. इलेक्ट्रीक एवं डीजल, 180 एल.पी.एम. जॉकी पम्प, 1800 एल.पी.एम. बूस्टर पम्प
(ञ) फायर एक्सटींग्यूसर

(6) संबंधित अधिनियम/नियम/विनियमन जैसे- बिहार भवन उपविधि, 2014, **समय-समय पर यथा संशोधित** राष्ट्रीय भवन संहिता, 2016, **समय-समय पर यथा संशोधित** बहुमंजिली भवन निर्माण विनियम, 1981, बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014, बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 में संबंधित अधिभोग के लिए वांछित अन्य शर्तो का पालन किया जाएगा । कुछ शर्ते निम्न प्रकार है :-

(क) **लिफ्ट** :-

(i) भवन का लिफ्ट की दीवार न्यूनतम 02 घंटे का अग्नि निरोधक क्षमता का होगा।

(ii) भवन का लिफ्ट उच्च गति "फायर लिफ्ट" पर डिजाइन की जाएगी और योजना में स्पष्ट रूप से चिन्हित होगा।

(iii) सामान्य विद्युत आपूर्ति की विफलता के मामले में, स्वचालित वैकल्पिक व्यवस्था होना चाहिए। अपार्टमेंट भवनों के लिए विद्युत आपूर्ति में परिवर्तन हेतु हस्ताचालित परिवर्तनीय स्वीच के माध्यम से यह व्यवस्था किया जा सकता है। वैकल्पिक रूप से लिफ्ट इस तरह से वायर्ड होगा कि बिजली की विफलता की स्थिति में भी यह जमीन स्तर तक आयेगा एवं दरवाजा आसानी से खुल सकेगा।

(iv) आग लगने की स्थिति में प्रति घंटा 30 बार हवा परिवर्तन करने हेतु स्मोक वेटिंग सिस्टम का समावेश सभी लिफ्ट सॉफ्ट में कर धुँआ निकासी हेतु व्यवस्था की जाएगी। यह इस प्रकार का डिजाइन किया जाएगा कि स्प्रींक्लर एवं फायर एलार्म क्रियाशील हो सके। सामान्य विद्युत आपूर्ति की विफलता के मामले में यह स्वचालित रूप से वैकल्पिक आपूर्ति के लिए कार्य करेगा।

(v) अग्नि नियंत्रण कक्ष के साथ लिफ्ट का संचार व्यवस्था बनाये रखने सहित अन्य सभी आवश्यकताएँ आई0 एस0 गुण स्तर के अनुरूप करना होगा, जिसमें भवन के लिफ्ट कार, अग्नि नियंत्रण कक्ष के साथ जुड़ी होनी चाहिए, जिससे संचार व्यवस्था बनी रहे।

(vi) राष्ट्रीय भवन संहिता, 2016 **समय-समय पर यथा संशोधित** से संबंधित प्रावधानों का पालन करते हुए फायर लिफ्ट होना चाहिए जैसे 1200 वर्गमीटर के फर्श क्षेत्र के लिए एक फायर लिफ्ट होना चाहिए।

(ख) भवन में सक्रिय अग्नि सुरक्षा प्रणाली जैसे प्रत्येक मंजिल पर लैण्डिग भल्व के साथ डाउन कमर सिस्टम एवं होज रील, छत स्तर पर 900 एल0पी0एम0 पम्प के साथ होगा। आई0 एस0 2190/1992 तथा संबंधित विशिष्टियों का आई0एस0आई0 मार्कड अग्निशमन यंत्र, फायर चेक दरवाजा, हस्तचालित कॉल अलार्म प्वाईन्ट, अग्नि सुरक्षा चमकीला संकेत एवं भवन निर्माण संहिता के अनुसार अन्य अग्नि निरोध उपाय किये जायेंगे।

(ग) तलघर में स्वचालित स्प्रींक्लर सिस्टम होना चाहिए एवं दो अलग-अलग निकास द्वार होना चाहिए।

(घ) भूतल जल स्टैटिक टैक (20,000 लीटर से कम क्षमता का नहीं) स्वचालित रिफिलिंग की व्यवस्था के साथ हो, जहाँ अग्निशामक वाहन आसानी से पहुँच सके। ओभर हेड वाटर स्टैटिक टैक (10,000 लीटर क्षमता से कम नहीं) अधिवास के पूर्व हो जाना चाहिए ।

(ङ) भवन के प्रत्येक मंजिल पर विद्युत केबुल सील होनी चाहिए ।

(च) भवन का कम्पार्टमेन्टेशन इस प्रकार होगा कि आग एवं धुँआ उसी क्षेत्र में सीमित रहेगा जहाँ अग्निकांड हुआ है तथा भवन के अन्य भागों में नहीं फैले ।

(छ) भवन के अलगाव दीवार एवं फ्लोर में खुला स्थान - ऐसे सभी प्रकार के तथ्यों पर ध्यान देना होगा जो आग एवं धुँआ के फैलाव को इन खुला स्थानों में प्रवेश को सीमित कर सके और बनावट का फायर रेटिंग बरकरार रह सके। सभी दीवार में खुला स्थान न्यूनतम दो घंटे की फायर रेटिंग के अग्नि निरोधक दरवाजा से सुरक्षित रहेगा। मंजिलों में सभी खुला स्थान vertical enclosure से सुरक्षित रहेगा एवं ऐसे enclosure का दीवार न्यूनतम दो घंटे की फायर रेटिंग का होगा ।

(ज) मंजिलों के प्रत्येक vertical openings यथोचित रूप से बंद एवं सुरक्षित रहेगा तथा निम्नलिखित व्यवस्थाएँ की जाएगी :-

(i) पलायन के रास्ता का प्रयोग करते वक्त अधिवासियों को मंजिल दर मंजिल खुले स्थान से आग एवं धुँआ के फैलाव को रोकने के लिए प्रर्याप्त सुरक्षा प्रदान करना होगा। यह सुनिश्चित करना होगा कि अधिवासियों के निकासी मार्ग में कम से कम 21 मिली मीटर का उपरी भाग खुला हो।

(ii) दो घंटें की फायर रेटिंग का अग्नि दरवाजा बाहर भागने/निकलने के रास्ते एवं लिफ्ट में प्रवेश के रास्ते तथा सीढ़ी पर एवं अन्य उपयुक्त स्थानों पर आग एवं धुँआ के फैलाव को रोकने के लिए दिया जाएगा।

(iii) निकासी मार्ग का सुरक्षित प्रयोग हेतु स्मोक वेन्टिंग सुविधा प्रदान किया जाएगा ।

(iv) आंतरिक सजावट से जहरीला धुँआ के उत्पन्न होने से बचाने हेतु धुँआ निरोधी सामग्रियों का प्रयोग किया जाएगा ।

(v) भवन के निकासी मार्ग (सीढ़ी एवं कोरिडोर) का रौशनीकरण/सीढ़ियों का प्रेसराईजेशन/ तलघर का वेन्टीलेशन राष्ट्रीय भवन संहिता, 2016 **समय-समय पर यथा संशोधित** के अनुसार करना होगा ।

(vi) एयर कंडिशनिंग एवं वेंटिलेशन सिस्टम को इस प्रकार अधिष्ठापित किया जाएगा, जिससे आग एवं धुँआ एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर और भवन से बाहर नहीं फैल सके। एयर फिल्टर में आग लगने पर धुँआ

को फैलने से बचाने के लिए स्मोक सेन्सिटीव डिवाईस भवन में होना चाहिए। प्रत्येक तल पर आग और धुँए के हजार्ड से बचाने के लिए प्रत्येक तल पर अलग-अलग एयर हैडलिंग यूनिट होना चाहिए। फायर डंपर्स को ए0सी0 सिस्टम में प्रदान किया जाएगा, ताकि आग की स्थिति में स्वचालित रूप से बंद हो सके और इस तरह अग्नि/धुँआ का फैलाव रोका जा सके ।

(vii) **विद्युत अधिष्ठापन**- विद्युत सुरक्षा भारतीय विद्युत नियमावली एवं संबंधित आई0एस0/संहिता के प्रावधान के आलोक में होगा। लाईसेंस विद्युत ठेकेदार के द्वारा विद्युत अधिष्ठापन किया जाएगा। मुख्य रूप से अलग नली में वायरिंग, अलग सर्किट, स्वचालित सर्किट ब्रेकर, मास्टर स्वीच, इंस्पेक्शन पैनल दरवाजा, आपातकालीन/वैकल्पिक विद्युत आपूर्ति का आवधिक सत्यापन आदि पर ध्यान दिया जाएगा ।

(viii) भवन का अधिवास प्राप्त करने के बाद प्रत्येक वर्ष कम से कम दो बार नियमित रूप से फायर एक्जीट ड्रिल किया जाना चाहिए ।

(ix) अग्नि सुरक्षा अधिकारी-एन0बी0सी0 2016 और बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 के अनुसार।

(x) भवन में अधिष्ठापित अग्निशमन उपकरणों आदि का ए0एम0सी0 योग्य फर्म या व्यक्ति को दिया जाना चाहिए।

(xi) स्थापित नियम के आलोक में भवन के सेट बैक का चेकिंग वास्तुविद/पारित करने वाले द्वारा किया जाएगा।

(xii) यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त सिफारिशों का पालन नहीं करने की स्थिति में भविष्य में होने वाली किसी भी कानूनी विवाद के मामले में, जिम्मेवारी डेवलपर्स/वास्तुविद/जमीन मालिक पर होगी एवं किसी भी सरकारी प्राधिकार (जैसे कि राज्य अग्निशमन पदाधिकारी, बिहार, पटना) की नहीं होगी ।

(xiii) इसके द्वारा यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस कार्यालय (अर्थात राज्य अग्निशमन पदाधिकारी-सह-निदेशक, बिहार, पटना/प्राधिकृत पदाधिकारी) का कार्यालय उस भूमि के किसी भी कानूनी विवाद के लिए जिम्मेवार नही है, जिसपर प्रस्तावित भवन का निर्माण होगा।

(7) अनिवार्यतः अन्डरटेकिंग्स के सभी प्रावधानों का पालन करना होगा ।

(8) इसे औपबंधिक अनापत्ति प्रमाण पत्र माना जाएगा। उपरोक्त सभी अग्नि एवं जीवन सुरक्षा अनुशंसाओं के अनुपालन के बाद आवश्यक निरीक्षण एवं अधिष्ठापन के जाँच हेतु राज्य अग्निशमन कार्यालय को सूचित करना होगा। सभी बिन्दुओं की जाँच से संतुष्टि के बाद अंतिम अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा ।

(9) अनुमोदित भवन योजना में बिना पूर्व स्वीकृति के किसी भी प्रकार का विचलन या परिवर्तन किये जाने की स्थिति में इस औपबंधिक अनापत्ति प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया जाएगा।

(10) हस्ताक्षर एवं मुहर के साथ नक्शा वापस किया जाता है।

अनुलग्नक:-

1) मे0 अभियंता, अरूण कुमार सिंह
2) अध्यक्ष, नगर निगम, **पटना**

निदेशक-सह-**राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,**
बिहार, पटना ।

Mutation Details(म्युटेशन आवेदन की स्तिथि)

Case No./YearSession : 7270/2020 - 2021
Case Status : Disposed off
Date of Recipt of Application : 27-Jan-2021
Verified by Karmchari : Vimal Kumar Gupta 15-Feb-2021
Verified by RO : Sourav Kumar 19-Feb-2021
Verified by CO : 09-Mar-2021
Correction slip Generation : 11-Mar-2021

Applicant Details

Apllicant Name	Guardian Name	Address
DR. KUMUD KAMINI	DR. ASHOK KUMAR SINHA	P.S- RAJIV NAGAR

Buyer Details

Buyer Name	Guardian Name	Address
KESHAV HOSPITAL PVT. LTD. DIRECTOR- DR. KUMUD KAMINI	DR. ASHOK KUMAR SINHA	VITT VIBHAG COLONY KHAJPURA P.O- B.V.C, P.S- RAJIV NAGAR,PATNA

Seller Details

Seller Name	Guardian Name	Address
HARSHVRADHAN SINGH	ANIL KUMAR SINGH	TAJPUR P.S- MANJHI,SARAN(CHHAPRA)

Plot Details

Distict Name	Mauja Name	Circle Name	Halka Name	Khata No	Plot No	Area
Patna'	सगुना	Danapur	नगर परिषद् दानापुर	67	205	0 एकड़ 19.375 डिसमील 0 हेक्टर
Patna'	सगुना	Danapur	नगर परिषद् दानापुर	67	205	0 एकड़ 18.122 डिसमील 0 हेक्टर

बिहार सरकार

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
अंचल अधिकारी का कार्यालय

Danapur, Patna

Dublicate Copy
09/10/2022

आदेश

जिला : Patna **अचंल :** Danapur
दाखिल खारिज केस संख्या : 7270 **वित्तीय वर्ष :** 2020 - 2021

तिथि
09-Mar-2021

आदेश पर की गई कारवाई

अभिलेख आज प्रस्तुत किया गया । क्षेत्रिय कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदन समर्पित किया । प्राप्त प्रतिवेदनानुसार आवेदित जमीन मौजा सगुना, थाना सं० 23

खाता सं०	प्लाट/खेसरा सं०	रकबा
67	205	0 एकड़,19.375 डिसमील, 0हेक्टर
67	205	0 एकड़,18.122 डिसमील, 0हेक्टर

का बिक्रेता

विक्रेता का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
HARSHVRADHAN SINGH	पिता/बाप/अबू	ANIL KUMAR SINGH

है | जिन्होनें निवंधित बिक्री, बिक्री-केवाला संख्या- 8835, दिनांक- 29/10/2020 के द्वारा आवेदक को बिक्री किए हैं। उक्त जमीन का खतियानी / जमाबंदी रैयत

रैयत का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
HARSH VARDHAN SINGH	पिता/बाप/अबू	ANIL KUMAR SINGH
HARSH VARDHAN SINGH	पिता/बाप/अबू	ANIL KUMAR SINGH

वर्तमान जमीन पर आवेदक का दखल है। सर्वसाधारण सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ । किसी ने कोई आपत्ती नही की है। क्षेत्रिय कर्मचारी / अं/नि. ने आवेदित भूमि का नामान्तरण आवेदक के नाम से करने हेतु अनुशंसा किया है।

हल्का कर्मचारी का जाँच प्रतिवेदन एवं अंचल निरीक्षक के अनुशंसा के आलोक मे दाखिल – खारिज की स्वीकृति दी जाती है |

अत: वार्षिक लगान **30 रुपये** अलावे सेस के साथ नामान्तरण **स्वीकृत** किया जाता है ।

शुद्धि पत्र हस्ताक्षरित कर निर्गत किया जाता है|। ह0 कर्मचारी पंजी II में आवश्यक संशोधन के पश्चात एक प्रति कार्यालय में वापस करें ।

Digitally Signed by :
Bidya Nand Roy
अंचलाधिकारी
Danapur

बिहार सरकार

Document No.:RPTOR28725609/09/10/2022

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

अंचल अधिकारी का कार्यालय

Danapur, Patna

दाखिल खारिज याचिका की प्राप्ति की रसीद का प्रपत्र

भूमि की दाखिल-खारिज के लिए DR. KUMUD KAMINI, पुत्र/पत्नी/पुत्री- DR. ASHOK KUMAR SINHA, निवासी ग्राम- VITT VIBHAG COLONY KHAJPURA, राजस्व ग्राम-सगुना, डाकघर- Danapur, अंचल- Danapur, अनुमण्डल- Danapur, जिला- Patna से एक प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन का ब्यौरे निम्नवतः हैं :-

याचिका संख्या	याचिका प्राप्त होने की तिथि	वाद संख्या वर्ष के साथ	याचिकाकर्त्ता (ओं) का नाम
25609	27/01/2021	7270 R27/ 2020 - 2021	KESHAV HOSPITAL PVT. LTD. DIRECTOR- DR. KUMUD KAMINI

भूमि का विवरण जिसके दाखिल-खारिज के लिए याचिका दी गयी है					
अंचल का नाम	राजस्व ग्राम/ राजस्व थाना	खाता संख्या	खेसरा संख्या	भूमि का रकबा	चौहदी

भूमि का विवरण जिसके दाखिल-खारिज के लिए याचिका दी गयी है					
Danapur	सगुना /23	67 67	205 205	0 एकड़,19.375 डिसमील, 0हेक्टर 0 एकड़,18.122 डिसमील, 0हेक्टर	पूरब- PLOT NO.210,211,212 ,पश्चिम- PART PLOT NO.205 ,उत्तर- BIKRETA ,दक्षिण- HANDAL,BAILEY ROAD पूरब- PLOT NO.210,211,212 ,पश्चिम- PART PLOT NO.205 ,उत्तर- BIKRETA ,दक्षिण- HANDAL, BAILEY ROAD

पदाधिकारी/ कर्मी का नाम एवं पदनाम जिसके द्वारा याचिका प्राप्त की गयी है

अनुलग्नकों की सूची

1

2

3

4

अंचल अधिकारी

Danapur

यह एक कंप्यूटर जनित प्रति है

किसी भी प्रकार की अशुद्धियों के लिए सम्बन्धित अंचलाधिकारी से संपर्क करें।

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
Danapur,Patna
दाखिल-ख़ारिज शुद्धि-पत्र

न्यायालय अंचल अधिकारी- Bidya Nand Roy **, अंचल-** Danapur **, जिला-** Patna **, हलका-** नगर परिषद् दानापुर **, राजस्व ग्राम-** सगुना **, राजस्व थाना संख्या-** 23 **, दाखिल -खारिज वाद संख्या एवं वर्ष-** 7270/2020 - 2021 **में अंचलाधिकारी के आदेश के उपरान्त निम्नलिखित भूमि खारिज की जानी है:**

वाद के निष्पादन के उपरांत खारिज की जाने वाली भूमि का विवरण					
जमाबंदी रैयत का विवरण	वर्तमान भाग संख्या	पेज संख्या	खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकबा
HARSHVRADHAN SINGH, पिता/बाप/अबू -ANIL KUMAR SINGH, जाति- अन्य, पत्ता-TAJPUR P.S-MANJHI,SARAN(CHHAPRA)	40 40	3334 3336	67 67	205 205	19.375 डिसमील 18.122 डिसमील

अंचलाधिकारी के आदेश के उपरान्तखारिज की गयी भूमि नया जमाबंदी भाग संख्या- 45 , एवं पृष्ट संख्या- 54 पर संधारित की गयी है| नयी जमाबंदी के रैयत तथा भूमि का विवरण निम्नलिखित है:

वाद के निष्पादन के उपरांत दाखिल की जाने वाली भूमि का विवरण					
नए जमाबंदी रैयत का विवरण	खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकबा	चौहद्दी	भू-लगान

वाद के निष्पादन के उपरांत दाखिल की जाने वाली भूमि का विवरण

(KESHAV HOSPITAL PVT. LTD. DIRECTOR- DR. KUMUD KAMINI सौहर / पति-DR. ASHOK KUMAR SINHA , ????-					
 अन्य, ???-VITT VIBHAG COLONY KHAJPURA P.O-B.V.C, P.S-RAJIV NAGAR,PATNA) | 67
67 | 205
205 | 19.375 डिसमील
18.122 डिसमील | पूरबPLOT NO.210,211,212 पश्चिमPART PLOT NO.205 उत्तरBIKRETA दक्षिणHANDAL,BAILEY ROAD
पूरबPLOT NO.210,211,212 पश्चिमPART PLOT NO.205 उत्तरBIKRETA दक्षिणHANDAL, BAILEY ROAD | 30 |

Approved By : Bidya Nand Roy

अंचल अधिकारी

Danapur

बिहार सरकार

09/10/2022

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

जमाबंदी पंजी प्रति

भाग वर्तमान : 45 पृष्ठ संख्या : 54 जमाबन्दी संख्या : कंप्यूटरीकृत जमाबन्दी संख्या : 212139900135462

जिला का नाम : Patna अनुमंडल नाम : Danapur अचंल का नाम : Danapur हलका का नाम : नगर परिषद् दानापुर

मौजा का नाम : सगुना होल्डिग संख्या : 67 तौजी संख्या : थाना नंबर : 23

KESHAV HOSPITAL PVT. LTD. DIRECTOR- DR. KUMUD KAMINI , सौहर / पति-DR. ASHOK KUMAR SINHA, जाति- अन्य

खाता सं०	प्लाट/खेसरा सं०	रकबा	चौहद्दी	परिवर्तन के लिए प्राधिकार	लगान	सेस
67	205	0 ए 19.375 डि 0 हे	पू०: प०: उ०: द०:	नामान्तरण मुकदमा संख्या 7270/2020 - 2021	30	0
	205	0 ए 18.122 डि 0 हे	पू०: प०: उ०: द०:			
	कुल परिमान	0 ए 37.497 डि 0 हे				

अंतिम लगान का विवरण

तारीख	प्राप्ति पत्र सं०	साल से	साल तक	लागत बकाया
2021-03-10 12:51:22	10032021124951031556	2020-2021	2020-2021	0
2021-12-24 17:35:01	24122021053247264570	2021-2022	2021-2022	0
2022-09-10 13:27:32	10092201263767729017	2022-2023	2022-2023	0

उपरोक्त जमाबंदी के विरुद्ध दाखिल ख़ारिज का विवरण Mutation Cases Not Found !!

यह एक कम्पयुटर जनित प्रति है
किसी भी प्रकार की अशुद्धियों के लिए सम्बन्धित अंचलाधिकारी से संपर्क करे
प्लाट का नक्शा देखने के लिए प्लाट नंबर क्लिक करें|